


भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



सं. No.- सो : १०८८ / ३७-जी-९

दूरभाष Telephone : ०१३५-६५६४०२  
फैक्स Fax : ०१३५-६५६४०२ (Direct.)

ई-मेल E Mail :  
ukgdc.sdn.soi@gov.in

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उम्हा भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश  
संख्या—८८ / ३७-जी-९ दिनांक ६-२-२०१५

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उम्हा भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश  
पदोन्नत) कर्मचारियों को हितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

१. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-११ एवं डिविजन-१ (डिव०-११ से पदोन्नत) कर्मचारियों को हितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुभाग के पत्र सं. ए-११०१९/१/२००८-सी.डी.एन. दिनांक ०८.०६.२००९ के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन संत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-३५०३४/३/२००८-स्थापना (डी) दिनांक १९.०५.२००९ में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में युप 'सी' स्थापना में डिविजन-११ एवं डिविजन-१ (डिव०-११ से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.वी.२ रु ९३००-३४८००+४८०० ग्रे०प० ऐं में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत हितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
१	श्रीमती तरजुनचर पाल कौर	मानविकार डिविजन-१	०१.०१.२०१४

२. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत हितीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.२२ (१) (क) (१) के तहत विकल्प देना होगा।

३. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष २०१५-१६ के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्रधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- १२५/१९०२-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०) दिनांक ०६.०१.२०१५

२. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-११ एवं डिविजन-१ (डिव०-११ से पदोन्नत) कर्मचारियों को हितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुभाग के पत्र सं. ए-११०१९/१/२००८-सी.डी.एन. दिनांक ०८.०६.२००९ के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन संत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-३५०३४/३/२००८-स्थापना (डी) दिनांक १९.०५.२००९ में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में युप 'सी' स्थापना में डिविजन-११ एवं डिविजन-१ (डिव०-११ से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.वी.२ रु ९३००-३४८००+४६०० ग्रे०प० ऐं में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत हितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लागू की तिथि
1	श्री कुंवर सिंह नेगी	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2012

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।
3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निधारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा

प्रधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-130 / 1902-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं परिचम उत्तर प्रदेश जी0डी०सी०) दिनांक 06.01.2015

### 3. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत अधिकारी सर्वेक्षकों को तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुभाग के पत्र सं. ए-11019 / 1 / 2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034 / 3 / 2008-रथापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों (अधिकारी सर्वेक्षकों) को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.वी.3 रु 15,600–39,100+ 7600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मकारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लागू स्वीकृत किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लागू की तिथि
1	श्री एच. के. गुलाटी (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	01.01.2010
2	श्री एन. के. डोभाल (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	01.09.2008
3	श्री आर. के. चौहान (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	01.09.2008
4	श्री कुलवन्त सिंह	अधिकारी सर्वेक्षक	01.10.2010

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर अधिकारियों को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निधारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

4. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान दिया जाना इस तथ्य के अधीन होगा कि किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त लागू स्वीकृत किये जाते समय, बाद में रिक्त हो जाने पर, नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अनहूं स्वीकृति दे दी गयी मानी जायेगी ।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्रधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 575 / 1902-MACP-III (OS) दिनांक 30.01.2015

4. स्थानान्तरण पर गये:-

इस केन्द्र से निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर गये :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	दिनांक	किस कार्यालय में स्थानान्तरित हुए	टिप्पणीयाँ
1	श्री रोजश्वर प्रसाद, मानविकार ग्रुप-11	15.12.2014	निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा	भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय का पत्र संख्या सी-7612/1800 दिनांक 09.12.2014

2. सेवानिवृत्त :— इस केन्द्र निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त हुईः—


क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्त होने की तिथि
1	श्री डी०पी० सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक	30.11.2014
2	श्री मनी राम, दफादार	30.11.2014
3	श्री चन्दन सिंह रावत, मानविकार डिव०-1	31.12.2014
4	श्री आशा राम, दफादार	31.01.2015
5	श्रीमती बिमला देवी, खलासी	31.01.2015
6	श्री मोहन सिंह, तकनीकी श्रमिक	31.01.2015

विवरणः—

- भारत के महासर्वेक्षक, दे हरादून को सूचनार्थ ।
- अपर महासर्वेक्षक :— पूर्वी क्षेत्र / पूर्वोत्तर क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / उत्तरी क्षेत्र / दक्षिणी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र / विशेष क्षेत्र/ मुद्रण क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानविकाण संस्थान ।
- अपर महासर्वेक्षक / निदेशक :— पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ मू.आं.के./ जम्मू व कश्मीर मू.आं.के./हिं.प्र. भू.आं.के./आसाम व नागालैण्ड मू.आं.के./मेधालय व अरुणाचल प्रदेश मू.आं.के./त्रिपुरा, मणिपुर व मिजोरम भू.आं.के./विहार मू.आं.के./पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम मू.आं.के./ तमिलनाडु मू.आं.के./गुजरात व दमन व दिक्ष.भू.आं.के./उडीसा मू.आं.के./छत्तीसगढ़ मू.आं.के./कोरल व लकड़ीप मू.आं.के./ सर्वे (हवाई) व दिल्ली मू.आं.के./अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ मानविक अभियेक एवं प्रचार केन्द्र/ उत्तरी मुद्रण वर्ग/ पूर्वी मुद्रण वर्ग/ प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी./ पश्चिमी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ भौगोलिक सूचना पब्लिक और सुदूर सम्बेदन निदेशालय/ राष्ट्रीय जी.डी.सी./ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा दे हरादून/ अंकीय मानविकाण केन्द्र दे हरादून ।
- केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, दे हरादून ।
- प्रभारी, मसूरी विंग /प्रभारी, विंग 1/प्रभारी, विंग 2/प्रभारी, विंग 3
- स्थाना एवं लेखा अधिकारी/तकनीकी अधिकारी/हिन्दी अनुभाग/सहायक मण्डार अधिकारी/कार्यालय अधीकारक (प्रशासन) /कार्यालय अधीकारक (लेखा) /वाहन अधीकारक /संवीक्षा अनुभाग/सुरक्षा पर्यवेक्षक ।
- प्रतिलिपि:- फाईल सं. 14-सी-1 (एम.ए.सी.पी.) /14-सी-1 (अधिकारी) /8-वी-2 / गार्ड फाईल ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

सं. नो-सी - २०६३/३७-जी-९



दूरभाष Telephone : 0135-656402  
फैक्स Fax : 0135-656402 (Direct.)  
ई-मेल E Mail :  
ukgdc.ddn.soi@gov.in

उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उठ प्र० भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश  
उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अधिकारी सर्वेक्षकों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन  
संख्या—०२ /३७-जी-९ दिनांक / ७ - '३ - २०१५

१. एम०४०सी०पी० योजना के अन्तर्गत अधिकारी सर्वेक्षकों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन  
स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुभाग के पत्र सं. ए-११०१९/१/२००८-सी.डी.एन. दिनांक ०८.०६.२००९ के अन्तर्गत प्राप्त कार्यिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-३५०३४/३/२००८-स्थापना (डी) दिनांक १९.०५.२००९ में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों (अधिकारी सर्वेक्षकों) को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.वी. रु ९३००-३४.८००+४८०० ग्रे ड ऐ में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मकारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :—

क्रम सं.	नाम	पद	एम०४०सी०पी० के लागू की तिथि
१	श्री सरोज कम्पुर (सेवानिवृत्त)	अधिकारी सर्वेक्षक	०१.०९.२००८
२	श्री ऐकेओ बहुखण्डी	अधिकारी सर्वेक्षक	०१.०७.२०१४
३	श्री राकेश कुमार	अधिकारी सर्वेक्षक	०१.०१.२०१२
४	श्री हरि सिंह	अधिकारी सर्वेक्षक	०१.१०.२०१२
५	श्री एस.के. नौरियाल	अधिकारी सर्वेक्षक	०१.०९.२००८

२. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर अधिकारियों को नये वेतनमान में वेतन नियंत्रित करने के लिये एफ.आर.२२ (१) (क) (१) के तहत विकल्प देना होगा।
३. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का नियांरण सम्बन्धित कार्यालय अधीकार द्वारा किया जायेगा।
४. एम०४०सी०पी०. योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान दिया जाना इस तथ्य के अधीन होगा कि किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त लाभ स्वीकृत किये जाते समय, वाद में रिक्त हो जाने पर, नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अनहूं स्वीकृति दे दी गयी मानी जायेगी।
५. सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष २०१५-१६ के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्राधिकार— भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी— ९६८ / १९०२-MACP-II (Sur./OS)  
दिनांक १८.०२.२०१५

मार्गीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन- ॥ एवं डिविजन- । (डिव0- ॥ से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम0ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुभाग के पत्र सं. ५-११०१९/१/२००८-सी.डी.एन. दिनांक ०८.०६.२००९ के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-३५०३४/३/२००८-स्थापना (झ) दिनांक १९.०५.२००९ में निहित अनुदेशों के अनुसारण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में युप 'सी' स्थापना में डिविजन- ॥ एवं डिविजन- । (डिव0- ॥ से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.वी.२ रु ९३००-३४८००+४८०० युड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम	पद	एम0ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
१	श्री आर. के. अग्रवाल	मानविचकार डिविजन- ।	०१.०१.२०१५

२. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.२२ (१) (क) (१) के तहत विकल्प देना होगा ।

३. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा ।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष २०१५-१६ के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुदाय लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा

प्रधिकारार- भारत के महासचिवक का पत्र सं. सी- १०७० / १९०२-एस.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश जी०डी०पी०) दिनांक १९.०२.२०१५

३. मार्गीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारी को द्वितीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुभाग के पत्र सं. ५-११०१९/१/२००८-सी.डी.एन. दिनांक ०८.०६.२००९ के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-३५०३४/३/२००८-स्थापना (झ) दिनांक १९.०५.२००९ में निहित अनुदेशों के अनुसारण भारतीय सर्वेक्षण विभाग में युप 'सी' स्थापना में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुए थे तथा वर्तमान में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से पी.वी.-१ रु ५.२००-२०.२००+२८०० युड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
१	श्री दीपक कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	०८.११.२०१४

२. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.२२ (१) (क) (१) के तहत विकल्प देना होगा ।

प्राप्ति ।

उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निधारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा ।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेश्वक का पत्रांक सी- 1075 / 1902–एस.ए.सी.पी. ( मिनिस्ट्रीयल ॥ )  
दिनांक 19.02.2015

4. मोटर हाइवर–कम–मैकेनिक साधारण ग्रेड से मोटर हाइवर–कम–मैकेनिक ग्रेड–॥  
के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

मोटर हाइवर–कम–मैकेनिक साधारण ग्रेड को मोटर हाइवर–कम–मैकेनिक ग्रेड–॥ के पद पर वेतनमान वैपड-1 रु 5200–20,200+2400 ग्रेड वेतनमान में नियमित आधार पर निम्नलिखित पदोन्नत के आदेश दिये जाते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदोन्नत पद की तिथि
1	श्री संदीप कुमार	मोटर हाइवर–कम–मैकेनिक ग्रेड–॥	26.02.2015

उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नये वेतनमान में वेतन नियत के लिए एफ.आर.22 (1) (क) (1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा ।

2. उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का निधारण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) द्वारा किया जायेगा ।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा ।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेश्वक का पत्रांक सी- 1043 / 1077– (ग्रेड–॥) दिनांक 19.02.2015

5. एम.ए.सी.पी. के तहत युप ‘सी’ (पूर्वकालीन युप ‘टी’) कर्मचारियों को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करना ।

इस कार्यालय के युप ‘सी’ (पूर्व युप ‘टी’) कर्मचारियों के नाम के सामने दिखाये गये विवरणानुसार फ़ीली.1 (रुपये 5200–20200) में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम पदनाम	वित्तीय उन्नयन पर ग्रेड वेतन	वित्तीय उन्नयन के लाभ की तिथि
1	श्री राजेन्द्र सिंह, दफतरी (से वानिवृत्त)	तृतीय रुपये 2400/-	04.11.2012

२ एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की रवीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (ए) (1) के तहत एक माह के अन्दर विकल्प देना होगा।

३ उपरोक्त कर्मचारी के वेतन का नियरण सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक (लेखा) हारा किया जायेगा।

सनिहित व्यय इस केन्द्र के कार्य 2015-16 के लिये रवीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जायेगा।

प्रधिकार:- अपर महासर्वेशक, उत्तरी होत्र, चण्डीगढ़ का पत्र सं. सी- 36 / 14-सी-1 (डी.एस.सी.)  
(एम.ए.सी.पी.) दिनांक 13.02.2015

#### ६. स्थानान्तरण पर आये:-

इस केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर उपस्थित हुए :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	किस कार्यालय से स्थानान्तरण की दिनांक	स्थानान्तरण की दिनांक	टिप्पणीय
1	श्री खुशहाल मणी, कार्यालय अधीक्षक	भारत के महासर्वेशक कार्यालय	23.02.215	भारत के महासर्वेशक का पत्र सं. एस-900 / 1095-स्था० 20.02.2015

#### विवरण:-

१. भारत के महासर्वेशक, देहरादून को सूचनार्थ।
२. अपर महासर्वेशक :- पूर्वी होत्र/पूर्वोत्तर होत्र/दक्षिणी होत्र/ पश्चिमी होत्र/विशिष्ट होत्र/गुदण होत्र/ मारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानविक्रिय संस्थान।
३. अपर महासर्वेशक / निदेशक :- पंजाब, हरियाणा और यांगड़ मू.आं.के./जामू व कश्मीर मू.आं.के./हिं.प्र. मू.आं.के./आसाम व नागालैण्ड मू.आं.के./मध्यालय व अरुणाचल प्रदेश मू.आं.के./त्रिपुरा, मणिपुर व मिजोरम मू.आं.के./बिहार मू.आं.के./पश्चिम बंगाल, एवं शिक्षीय मू.आं.के./तमिलनाडु और पांडिचेरी और अण्डमान व निकोबार मू.आं.के./उडीसा मू.आं.के./झारखण्ड मू.आं.के./छत्तीसगढ़ मू.आं.के./गुजरात व दमन व दिक्ष मू.आं.के./महाराष्ट्रा एवं गोआ मू.आं.के./कर्नाटक मू.आं.के./केरल व लक्षदीप मू.आं.के./सर्वे (हवाई) व दिल्ली मू.आं.के./अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/ मानविक्रिय अभिलेख एवं प्रचार केन्द्र/ उत्तरी मुद्रण वर्म/ पूर्वी पुद्रण वर्मा/ मध्य प्रदेश जी.डी.सी./ राजस्थान जी.डी.सी./ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी./ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी./ पश्चिमी मुद्रण वर्म/ दक्षिणी मुद्रण वर्म/ गोपालिक सूचना पद्धति और सुदूर सम्बेदन निदेशालय/ राष्ट्रीय जी.डी.सी./ज्यो.डी.य एवं अनुसंधान शाखा देहरादून/ अंकीय मानविक्रिय केन्द्र देहरादून।
४. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून।
५. प्रमारी, मसूरी विंग/प्रभारी, विंग १/प्रभारी, विंग २/प्रभारी, विंग ३
६. स्थापना एवं लेखा अधिकारी/हुक्मनीकी अधिकारी/हिन्दी अनुभाग/सहायक भण्डार अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन)/कार्यालय अधीक्षक (लेखा)/वाहन अधीक्षक/सरीका अनुभाग/सुरक्षा पर्यवेक्षक।
७. प्रतिलिपि:- फाईल सं. 14-सी-1 (एम.ए.सी.पी.)/ 14-सी-1 (अधिकारी) / 8-वी-2/ गार्ड फाईल।